झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं.127/2023

------

1. सूरज कुमार, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता- भगवान प्रसाद, माझी तोला, बालिडीह, सेंट्रल बैंक चास के पास, डाक घर और थाना.-बालिडीह, जिला-बोकारो, झारखंड;

2. बिमल कुमार उर्फ विमल कुमार, लगभग 31 वर्ष, पिता- भगवान प्रसाद स्कूल, बालिडीह, डाक घर और थाना.-बालिडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अभिषेक कुमार (शाखा प्रबंधक), निवासी प्लॉट संख्या.7217,7208,709 ऊपर आईसीआईसीआई बैंक चौक, बाईपास रोड चास, डाक घर और थाना.-चास, जिला-बोकारो, झारखंड-827013;

.... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बीरेंद्र कुमार,
राज्य के अधिवक्ता : श्री विनीत के. वशिष्ठ, एसपेसल पी. पी.
उत्तरदाता संख्या 2 के लिए : श्री विनीत प्रकाश, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 2022 के शिकायत मामले संख्या.278 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित संज्ञान के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने का अनुरोध किया गया है और उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, बोकारो के समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः उत्तरदायी और गारंटर होने के नाते, शिकायतकर्ता-वित्त कंपनी द्वारा वित्तपोषित एक ट्रक प्राप्त किया और ऋण के रूप में लिए गए धन में से केवल 65,000/- रुपये का भुगतान किया और उसके बाद भुगतान बंद कर दिया और जब शिकायतकर्ता के अधिकृत व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के घर गए तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उन्हें बाहर निकाल दिया और उन्हें वाहन नहीं दिखाया और उन्होंने वाहन को तोड़ दिया और बेच दिया।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2019) 9 एस. सी. सी. 148 पैराग्राफ-13 और 14 में रिपोर्ट किए गए के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर हैं।

जिनमें से कुछ इस प्रकार हैंः-

> *13. Xxxx xxxx xxxx. ऋण राशि को वापस करने में अपीलकर्ता की मात्र असमर्थता धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकती है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यही पुरुष कारण है जो अपराध का मूल है।भले ही शिकायत और सामग्री में सभी तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, लेकिन इस तरह का कोई बेईमान प्रतिनिधित्व या प्रलोभन नहीं पाया जा सकता है या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।*
>
> *14. इसके अलावा, इस न्यायालय ने कई मामलों में आम तौर पर नागरिक विवादों को आपराधिक बनाने के खिलाफ आगाह किया है, जैसे कि संविदात्मक*

दायित्वों का भंग (ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 303:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 1188:(2013) 1 एससीसी (सीआरआई) 160:(2012) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 988])।विधायिका का उद्देश्य केवल उन उल्लंघनों को अपराध घोषित करना था जो धोखाधड़ी, बेईमान या भ्रामक प्रलोभन के साथ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. सी. की धारा 415 के तहत अनैच्छिक और अक्षम स्थानांतरण होते हैं।

और प्रस्तुत करता है कि चूंकि पक्षकारों के बीच लेन-देन की शुरुआत के बाद से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बेईमान इरादा होने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, ऋण राशि को वापस करने में याचिकाकर्ताओं की असमर्थता आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकती है।

5. इसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता के प्रतिनिधियों को गाली देने का आरोप केवल मामले को गंभीर बनाने के लिए किया गया है और भले ही इसे पूरी तरह से सच माना जाए, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता की धारा 504 या 506 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त है और जैसा कि गंभीर पुष्टि के तहत बयान में या जांच गवाहों के बयान में, याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनाया गया है। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2022 के शिकायत मामले संख्या.278 में, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, बोकारो के समक्ष लंबित है, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित दिनांकित 18.08.2022 का संज्ञान लेने वाले आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित हुए और दूसरी ओर विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को रद्द करने और पूरी आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार करने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया, जिसमें 2022 के शिकायत मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेना शामिल है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, बोकारो के समक्ष लंबित है

और प्रस्तुत करता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनाया गया है।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। **विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2019) 14 एस. सी. सी. 207** के मामले में पैराग्राफ-24 और 25 में रिपोर्ट किया गया है जिनमें से निम्नानुसार हैः-

> *"24. अब, हम अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों पर वापस आते हैं।आरोप यह है कि अपीलकर्ता दो या तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ, जिनमें से एक के पास रिवॉल्वर थी, शिकायतकर्ता के घर आया और उसे गंदी भाषा में गाली दी और उस पर हमला करने का प्रयास किया और जब कुछ पड़ोसी वहां पहुंचे तो अपीलकर्ता और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति मौके से भाग गए। उपरोक्त आरोप अपने अंकित मूल्य को लेते हुए धारा 504 और 506 के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो निर्णयों में गिना गया है।जानबूझकर अपमान इस हद तक होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया जाए।केवल यह आरोप कि अपीलकर्ता आया और शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, फियोना श्रीखंडे [फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 44:(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 715]*
>
> *25. अब, धारा 506 पर वापस लौटते हुए, जो आपराधिक धमकी का अपराध है, फियोना श्रीखंडे [फियोना श्रीखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 44 द्वारा निर्धारित सिद्धांतः(2014) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 715] को यह पता लगाने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए कि अपराध की सामग्री बनाई गई है या नहीं।यहाँ, एकमात्र आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया।भा.दं.सं. सी. की धारा 506 के तहत अपराध साबित करने के लिए, वे कौन से तत्व हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष को*

साबित करना होगा?अपराध के कानून पर रतनलाल और धीरजलाल, अपराध के प्रमाण के संबंध में 27 वीं संस्करण में निम्नलिखित कहा गया हैः

"... अभियोजन पक्ष को साबित करना चाहिएः

(i) कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को धमकी दी।

(ii) कि इस तरह के खतरे में उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति या किसी ऐसे व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को कुछ नुकसान शामिल है जिसमें वह रुचि रखता था।

(iii) कि उसने ऐसा उस व्यक्ति को चिंतित करने के इरादे से किया; या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं था, या किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए छोड़ दिया जो वह ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में करने का कानूनी रूप से हकदार था।"

(जोर दिया गया)

शिकायत में लगाए गए आरोपों को सरलता से पढ़ने से ऊपर बताए गए सभी तथ्य संतुष्ट नहीं होते हैं।

यह कि केवल यह आरोप कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को धमकी दी है, अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तत्वों को संतुष्ट नहीं करता है।जानबूझकर ऐसा अपमान होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाए।इस तरह के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में में इस न्यायालय को यह निर्णय देने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं है।

8. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, उक्त अपराध को स्थापित करने के लिए यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि तोड़-फोड़ में व्यक्ति को कुछ चोट, प्रतिष्ठा, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति शामिल थी और धमकी पीड़ित को खतरे में डालने या पीड़ित को कोई ऐसा कार्य करने के इरादे से दी गई थी जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं था। इस तरह के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में में, इस

न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप, भले ही पूरी तरह से सही माने जाएं, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

9. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है

विनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य का मामला

(2014) 10 एस. सी. सी. 663 का अनुच्छेद-18 निम्नानुसार हैः-

> *"18. वर्तमान मामले में, शिकायत में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, हम पाते हैं कि भा.दं.सं. सी. की धारा 405 के तत्वों को आकर्षित आदेश वाले कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसी तरह, धोखाधड़ी या शिकायतकर्ता को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए पैसे को बनाए रखने में अपीलार्थियों के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं हैं।इन गंजे आरोपों को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग या तो स्वयं या किसी अन्य काम के लिए किया, संपत्ति के दुरुपयोग में बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। <u>आपराधिक भंग का मामला बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थियों द्वारा धन रखा गया है।यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से इसका बेईमानी से निपटारा किया या बेईमानी से इसे बनाए रखा।केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, विश्वास का आपराधिक भंग नहीं है।</u>" (जोर दिया गया)*

कि आपराधिक भंग का मामला बनाने के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा धन रखा गया है।यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्तियों ने किसी तरह से इसका बेईमानी से निपटारा किया या बेईमानी से इसे बनाए रखा।

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः उत्तरदायी और गारंटर होने के नाते ऋण का लाभ उठाया है, लेकिन

ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में, कानून के निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए; भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप, गंभीर पुष्टि पर बयान और जांच गवाहों के बयान को उनकी संपूर्णता में सच माना जाता है, फिर भी अपराध जैसा कि आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 323,406,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें 2022 के शिकायत मामले संख्या.278 में, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1st श्रेणी, बोकारो के समक्ष लंबित है, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1st श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित संज्ञान के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

11. तदनुसार, 2022 के शिकायत मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित संज्ञान के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 प्रथम श्रेणी, बोकारो के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

12. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका. की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
15 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।